

न्यायालय भू अभिलेख अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी), बाली, जिला-पाली (राजस्थान) केम्प सेणा  
पीठासीन अधिकारी : श्री अतुल प्रकाश आई.ए.एस.  
राजस्व विविध प्रकरण संख्या 127/2021 GCMS No 2021/  
दायरा तिथि : 28.10.2021  
फैसला तिथि : 28.10.2021

**प्रार्थीगण:-**

ग्रामवासी सेणा जरिये  
सरपंच ग्राम पंचायत सेणा तहसील-बाली जिला पाली (राजस्थान)  
बनाम

**अप्रार्थी :-**

राजस्थान सरकार जरिये (भूमिधारी) तहसीलदार, बाली

--: आदेश :-

दिनांक 28.10.2021

**प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 131, 136 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम, 1956**

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं। प्रार्थीगण ग्रामवासी सेणा द्वारा कदीमी रास्ते को मौके पर मौजूद स्थिति के अनुसार नक्शे में तरमीम किये जाने बाबत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर प्रकरण संस्थापित कर जांच रिपोर्ट तहसीलदार, बाली से ली गई। पटवारी हल्का, सेणा एवं निरीक्षक भू अभिलेख बिसलपुर ने मौके व रेकर्ड से जांच कर निवेदन किया कि राजस्व ग्राम सेणा ( बाहरी क्षेत्र) में निम्न वर्णित खसरा नंबरान की भूमि राजस्व रिकार्ड में रास्ता दर्ज नहीं होकर सिवायचक, निजी खातेदारी व ग्राम पंचायत के नाम दर्ज है, परन्तु इन खसरो में कदीमी रास्ता है, जो पिछले कई वर्षों से आम जन के आने जाने के लिये इस्तेमाल हो रहा है, इसलिये मौके पर मौजूद कदीमी रास्ते को निम्नानुसार रास्ता दर्ज किये जाने के साथ नक्शे में तरमीम किये जाने का निवेदन किया:-

क्र० सं०	खसरा नंबर	किस्म	खातेदार	प्रभावित रकबा वर्गमीटर में	विशेष विवरण
01	211	गै.मु. भाखर	सिवाय चक	4X360=1440 वर्गमीटर	
02	205	बारानी दायम	ओंकारसिंह पुत्र वनेसिंह राजपुत वगैरा	4X60=240 वर्गमीटर	
03	170	बारानी दायम	ग्राम पंचायत	4X40=160 वर्गमीटर	
04	203	गै.मु. भाखर	राजकीय सिवायचक	4X240=960 वर्गमीटर	
05	183	बारानी दायम	कमलसिंह पुत्र रणवीरसिंह राजपुत वगैरा	4X20=80 वर्गमीटर	
06	186	बारानी दायम	ग्राम पंचायत	4X160=640 वर्गमीटर	
		कुल रकबा		3520 वर्गमीटर	

अपनी रिपोर्ट में यह भी वर्णित किया गया कि प्रस्तावित (कदीमी) रास्ता मौके पर चालू है तथा मौके पर जिससे मौका स्थिति के अनुसार उपरोक्त वर्णित खसरा नंबरान की भूमि मेंसे 3520 वर्गमीटर भूमि को मौका स्थिति के अनुसार रेकर्ड में गै.मु. रास्ता दर्ज किये जाने के साथ नक्शे में तरमीम की अनुशाषा की गई।

पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन से हस्तगत प्रकरण में यह प्रमाणित हैं कि ग्राम सेणा ( बाहरी क्षेत्र) के खसरा नंबर 211, 205, 170, 203, 183, 186 किस्म गैर मुमकीन भाखर, बारानी दायम जो कि राजस्व रेकर्ड में निजी खातेदारी, राजकीय सिवायचक व ग्राम पंचायत के नाम दर्ज है, परन्तु इन खसरा नंबरान की भूमि में उपरोक्तानुसार कुल 3520 वर्गमीटर मौके पर कदीमी रास्ता मौजूद है, इसका अंकन राजस्व रेकर्ड में तथा नक्शे में नहीं है, जिससे उक्त रास्ता से गुजरने वाले लोगो को कठिनाई होने से परियाद दर्ज किये जाते रहे है, जिसको अप्रार्थी भूमिधारी तहसीलदार, बाली द्वारा जांच रिपोर्ट में स्वीकार करते हुये रेकर्ड शुद्ध किये जाने की अनुशाषा की गई हैं।

इस संबंध में राजस्थान भूराजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 131 के प्रावधानो का अवलोकन किया गया।  
**131. Maintenance of Map and Field Book- After the survey and record operation are over, the map and field book shall be maintained by the Land Records officer, in accordance with the rules made by the state Government in that behalf and he shall cause, annually or at such longer intervals as the State Government may prescribe, to be recorded tferin all changes in the boundaries of each village or portion of a village, estate or field and shall correct any errors wich are shown to have been made in such map or field book. According to section 131, the Land Record Officer(i.e. collector or S.D.O. as the case may be) shall be responsible for the proper maintenance of the map, and field book and to record necessary changes from time to time in accordance with the Raj. Land Revenue ( Land Record) Rules, 1957.**

पेज लगातार.....02

उपखण्ड अधिकारी  
बाली

// 02 //

राजस्व विविध प्रकरण संख्या : /2021 GCMS No 2021/  
अनगम ग्रामवाली सेणा ज़रिये सरपंच ग्राम पंचायत सेणा बनाम राजस्थान सरकार ज़रिये (भूमिधारी) तहसीलदार, बाली  
अंतर्गत धारा 131, 136 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम, 1956

इस संबंध में राजस्थान भूराजस्व (भू0 अमिलेख) नियम 1957 में नक्शा (मानचित्र) के संबंध में वर्णित नियम 59 व 60 में वर्णित प्रावधानों के अनुसार निरीक्षक भू0 अमिलेख एवं संबंधित राजस्व अधिकारी नक्शे की शुद्धि के लिये जिम्मेदार हैं। इस संबंध में राजस्थान भूराजस्व (भू0 अमिलेख) नियम 1957 के अध्याय द्वितीय में वर्णित उपखण्ड अधिकारियों के कर्तव्य शीर्षक में वर्णित नियम 369 के अनुसार- उपखण्ड अधिकारी यद्यपि जिलाधीश के नियंत्रण में है फिर भी उसके साथ-साथ अपने उपखण्ड में अमिलेख नक्शे की शुद्धि के लिए उत्तरदायी है उसे समस्त परिवर्तनों के आदेश देने के अधिकार हैं तथा समस्त विवादास्पद नामान्तरकरण के मामले हस्तान्तरण व परिवर्तन जो उसके ध्यान में आवे निस्तारण कर सकता है। कर्मचारीगण पर देख रेख करने के अलावा उसे विशेषतया यह देखना चाहिए कि पारित आदेश स्पष्ट संक्षिप्त हैं तथा इनकी पालना कर ली गई है। उपखण्ड अधिकारी की भू0 अमिलेख के सम्बन्ध में उन कर्तव्यों के अलावा जो वह न्यायिक हैं दृष्टि से सम्पन्न करता है। इसके साथ ही राज.भूराजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136 के तहत रिकार्ड में हुई त्रुटि को दोनों पक्षों के सहमत होने पर उपखण्ड अधिकारी बतौर लैण्ड रिकार्ड ऑफिसर शुद्धि के आदेश दे सकता है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाता है। माफिक रिपोर्ट तहसीलदार, बाली ग्राम सेणा (बाहरी क्षेत्र) के खसरा नंबर 211, 205, 170, 203, 183, 186 किस्म गैर मुमकीन भाखर, बारानी दायम जो कि राजस्व रिकार्ड में निजी खातेदारी, राजकीय सिवायचक व ग्राम पंचायत के नाम दर्ज है, को मौका स्थिति अनुसार राजस्थान भूराजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 131 व 136 के तहत निम्नानुसार राजस्व रिकार्ड में बतौर गै.मु. रास्ता दर्ज करने के साथ राजस्व नक्शे में संशोधन के आदेश दिये जाते हैं:-

क्र० सं०	खसरा नंबर	किस्म	खातेदार	प्रमावित रकबा वर्गमीटर में	विशेष विवरण
01	211	गै.मु. भाखर	सिवाय चक	4X360=1440 वर्गमीटर	
02	205	बारानी दायम	आंकारसिंह पुत्र वनेसिंह राजपुत वगैरा	4X60=240 वर्गमीटर	
03	170	बारानी दायम	ग्राम पंचायत	4X40=160 वर्गमीटर	
04	203	गै.मु. भाखर	राजकीय सिवायचक	4X240=960 वर्गमीटर	
05	183	बारानी दायम	कमलसिंह पुत्र रणवीरसिंह राजपुत वगैरा	4X20=80 वर्गमीटर	
06	186	बारानी दायम	ग्राम पंचायत	4X160=640 वर्गमीटर	
		कुल रकबा		3520 वर्गमीटर	

पटवारी हल्का, सेणा निरीक्षक भू0अ0 बिसलपुर व तहसीलदार, बाली द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट मय मौका नक्शा को आदेश का भाग माना जावे। आदेश प्रति तहसीलदार, बाली व पटवारी हल्का, सेणा को पालनार्थ भिजा जावे। मिसल फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।



आदेश आज दिनांक 28.10.2021 को मजमा-ए-आम में सुनाया गया।

(श्री अतुल प्रकाश)  
उपखण्ड अधिकारी  
(खसरा/सेणा), बाली  
भू0 अधिनियम अधिकारी  
उपखण्ड अधिकारी, बाली  
बाली